न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2017RAAJu223RTA099 Bhanwarsingh etc Vs State of Rajasthan

1. भंवरसिंह पुत्र जोरसिंह राजपुरोहित
2. गिरधारीसिंह पुत्र जोरसिंह राजपुरोहित
3. मूलसिंह पुत्र मंगलसिंह राजपुरोहित
4. नेमसिंह पुत्र मंगलसिह जरिये कायममुकामान--
    a. जितेन्द्रसिंह पुत्र नेमसिंह राजपुरोतिहत
5. दलपतसिंह पुत्र मंगलसिंह राजपुरोहित
6. फौजूसिंह पुत्र सूरजमलसिंह राजपुरोहित

निवासीगण ग्राम खाराबेरा, तहसील लूणी
जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. राजस्थान राज्य जरिये उपखण्ड अधिकारी, लूणी, जिला जोधपुर
2. तहसीलदार, तहसील लूणी, जिला जोधपुर
3. बगतावरसिंह पुत्र हमीरसिंह राजपुरोहित
4. भीमसिंह पुत्र अमरसिंह राजपुरोहित पुत्र भीमसिंह
5. नारायणसिंह पुत्र रामसिंह राजपुरोहित पुत्र भीमसिंह
6. मानसिंह पुत्र गोरधनसिंह राजपुरोहित पुत्र जवाहरसिंह
7. कानसिंह पुत्र गोरधनसिंह पुत्र जवाहरसिंह राजपुरोहित
8. भेरूसिंह पुत्र किशोरसिंह पुत्र मुकनसिंह राजपुरोहित

निवासीगण धोलेरिया सांसण, तहसील रोहट
जिला पाली

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी दिनांक 03 अक्तूबर 2017 राजस्व प्रकरण संख्या 20/2017 बगतावरसिंह बनाम भंवरसिंह आदि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री महिपाल राजपुरोहित, अधिक्ता अपीलाण्ट्स

श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिचवक्ता, रेस्पो. संख्या एक व दो
श्री पूनाराम विश्नोई एवं श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन से आठ

नि र्ण य

दिनांक : 21 नवम्बर 2019

अपीलाण्ट ने विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 20/2017 भंवरसिंह बनाम जसंवतसिंह व अन्य में पारित आदेश दिनांक 3 अक्तूबर 2017 के खिलाफ यह अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 02 नवम्बर 2017 को पेश की गयी है।

अपील के साथ अपीलाण्ड्स की ओर से एक प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर जाहिर किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के अनुकम में डिकी पर्चा नहीं बनाया गया। अतः अपील के साथ डिकी पर्चा की नकल प्रस्तुत करने की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान की जावे।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-अपीलाण्ड्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद आराजी खसरा संख्या 1076 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा वाके मौजा खारा बेरा पुरोहितान के संबंध में पेश किया, जो वाद संख्या 05/2014 भंवरसिंह बनाम सरदारसिंह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04 जुलाई 2016 को स्वीकार किया गया। इसके करीब दो माह बाद प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 के वारिसान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर उक्त निर्णय व डिकी मृत प्रतिवादीगण के खिलाफ पारित हो जाने से खारिज किये जाने योग्य होना जाहिर किया। उक्त प्रार्थनापत्र शपथ-आयुक्त द्वारा तस्दीकशुदा नहीं होते

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हुए भी प्रकरण संख्या 51/2016 दर्ज कर लिया गया। इसके बाद प्रतिवादीगण संख्या 10 व 11 के वारिसान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अन्य प्रार्थनापत्र सिविल प्रकिया संहिता की धारा 151 के तहत पेश कर पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जा चुका है, अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी जरिये विड्रा/नोट प्रेस खारिज किया जावे। तदनुसार दिनांक 27 अक्तूबर 2016 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र निस्तारित किया गया। इसके बाद पुनः जुलाई 2017 में रेस्पो. की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में एक रिव्यु प्रार्थनापत्र मूल निर्णय एवं डिकी दिनांक 04 जुलाई 2016 को अपास्त किये जाने हेतु पेश किया गया, जिसमें वर्णित अभिकथनों की प्रामाणिकता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई जॉच किये, अपीलाण्ट्स के खिलाफ नोटिस जारी कर दिये गये, नोटिस की पालना में अपीलाण्ट्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, मगर अपीलाण्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जबाब या सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया और अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 अक्तूबर 2017 पारित कर मूल निर्णय एवं डिकी दिनांक 04 जुलाई 2016 खारिज कर दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 03 अक्तूबर 2017 के खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने मामले के तथ्यों एवं अपील मीमों और लिखित बहस में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो. को रिव्यु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार ही नहीं है। अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिव्यू से संबंधित मूल वाद प्रकरण की पत्रावली का अवलोकन ही नहीं किया, अन्यथा वस्तुस्थिति का स्वतः ही अधीनस्थ न्यायालय को ज्ञान हो जाता कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मूल वाद के प्रतिवादीगण संख्या एक से सत्रह न तो कभी गांव खाराबेरा पुरोहितान में रहे और न ही कभी उनके बारे मे सुना गया, मात्र राजस्व अभिलेख में त्रुटिवश उनका नाम दर्ज हो गया। वर्तमान रेस्पो. संख्या 3 से 8 एवं उनके पूर्वजों अर्थात मूल वाद के प्रतिवादीगण द्वारा भी कभी वादीगण के कब्जे काश्त बाबत कोई उज्र-एतराज उठाया गया। इससे जाहिर हो जाता है कि न तो मूल वाद के प्रतिवादीगण कभी गांव खाराबेरा पुरोहितान में रहे और न ही वादग्रस्त आराजियात पर उनका कोई कब्जा-काश्त रहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाते समय इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया कि वर्तमान रेस्पो. संख्या 3 से 8 द्वारा पूर्व में आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 के तहत रिव्यु प्रार्थनापत्र की कार्यवाही में पक्षकार नही बने, पूर्व रिव्यु प्रार्थनापत्र के आवेदकगण द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये विड्रा खारिज करवा लिया गया। अब इन रेस्पो. द्वारा रिव्यु प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। जिसके साथ मियाद प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत विधिक बिन्दु भी उचित तौर पर निर्णित नहीं किये गये है, जिन पक्षकारान को मृत बताया गया, उन सबके मृत्यु प्रमाण पत्र तक प्रस्तुत नहीं हुए, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर गौर तक नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में आलौच्य प्रार्थनापत्र मूल निर्णय दिनांक 04 जुलाई 2016 के खिलाफ करीब एक साल बाद प्रस्तुत किया गया है। रिव्यु प्रार्थनापत्र के अभिकथनों की प्रामाणिकता बाबत अधीनस्थ न्यायालय मे कोई जांच नहीं की गयी, जबकि नियमानुसार ऐसा किया जाना नितान्त आवश्यक है। अपीलाण्ट्स की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में दो प्रार्थनापत्र, एक में जबाब प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की गयी थी, तथा दूसरे प्रार्थनापत्र में दस्तावेजात की प्रतियों की मांग की गयी थी, मगर अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा न तो समय दिया गया और न ही अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व उक्त दोनों प्रार्थनापत्रों का निस्तारण ही किया गया है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का यह भी तर्क रहा है कि अपीलाधीन आदेश जिस प्रकार पारित किया गया है, वह विधिसंगत नहीं है क्योंकि उससे मूल वाद में पुनः कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं होती, अपितु मूल वाद में पारित निर्णय, जिसके खिलाफ रिव्यु की कार्यवाही की गयी है, वह समाप्त तो हो जाता है। रिव्यु उन व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि मूल वाद में पक्षकार ही नहीं थे। अन्त में अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

रेस्पो. संख्या एक व दो की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि रिव्यु पेश करने वाले मूल वाद में प्रतिवादीगण के विधिक उत्तराधिकारी और प्रकरण में हितबद्ध व्यक्ति है, अतः उन्हें रिव्यु पेश करने का पूर्ण अधिकार है। इसके विपरीत रिव्यु में पारित अपीलधीन आदेश के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा में संधारण योग्य ही नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 229 के तहत रिव्यु की कार्यवाही में न्यायालय अपने निर्णय को बदल सकता है। रिव्यु के आवश्यक शर्तें यह है कि --

- कोई नया साक्ष्य पता चले
- देखने मात्र से पता चले कि प्रश्नगत आदेश सही नही है

अधिवक्ता-रेस्पो. ने यह भी जाहिर किया कि मूल वाद में जितने प्रतिवादीगण थे, उन सभी का देहान्त हो चुका था। ऐसी डिकी जो फॉड से प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है। यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रिव्यु का अपीलाण्ट्स ने जबाब ही नहीं दिया और न ही मृत्यु प्रमाणपत्र फर्जी होने का कोई सबूत दिया। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

जहॉ तक अपील के साथ डिकी पर्चा की नकल पेश करने की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का प्रश्न है,इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर अधिवक्ता-अपीलाण्ट के उक्त कथन की पुष्टि होती है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

यह सही है कि अपीलाधीन निर्णय के जरिये अधीनस्थ न्यायालय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 229 के तहत अपने किसी आदेश का पुनरावलोकन किया जा सकता है। इस संबंध में अधिवक्ता-रेस्पो. के कथन से अदालत हाजा सहमत है।

परन्तु इसके साथ ही यह भी ध्यान रखे जाने योग्य है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 229 के तहत रिव्यु प्रार्थनापत्र की कार्यवाही एक अत्याधिक संक्षिप्त कार्यवाही होती है जिसके तहत मात्र उन्हीं त्रुटियों एवं भूलों का परिमार्जन किया जा सकता है, जो प्रथम दृष्टया अभिलेख के मुखपृष्ठ पर दृष्टिगोचर (prima facie error apparent on the face of the record)होती है या कोई नवीन सारभूत तथ्य या सबूत ध्यान में लाया जाता है।

आलौच्य मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 229 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03 अक्तूबर 2017 पारित किया गया है, वह रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थनापत्र में वर्णित मूलतः इस अभिकथन के आधार पर पारित किया गया है कि **मूल वाद में प्रतिवादीगण संख्या एक से सत्रह सभी फौत हो चुके है,** प्रतिवादीगण सभी धोलेरिया सांसण के निवासी थे, आज भी उनके वारिस धोलेरिया सांसण में ही निवास करते है, मगर वादीगण ने सभी मृत प्रतिवादीगण को पक्षकार बना कर और झूठे निवास स्थान लिख कर डिकी हासिल की जो पृथम दृष्टया अपास्त किये जाने योग्य है। अपने रिव्यु प्रार्थनापत्र के साथ हमीरसिंह (मृत्यु दिनांक 02 जनवरी 2000), गोरधनसिंह (मृत्यु दिनांक 02 जून 1987), अमरसिंह (मृत्यु दिनांक 18 अक्तूबर 2003), रामसिंह (मृत्यु दिनांक 6 जनवरी 2001) व किशोरसिंह (मृत्यु दिनांक अस्पष्ट) के मृत्यु प्रमाणपत्र पेश किये गये। **मूल दावे में यह सभी प्रतिवादीगण है और मूल दावे में निर्णय एवं डिकी दिनांक 04 जुलाई 2016 पारित किये जाने के पूर्व इन मृत प्रतिवादियों के विधिक उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है।** अतः बिना किसी वाद-विवाद के यह तथ्य प्रथम दृष्टया अभिलेख के अवलोकन मात्र से प्रकट हो जाता है कि मूल वाद के निस्तारण में सारवान विधिक त्रुटि रही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिव्यु प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करने और मूल वाद में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 04 जुलाई 2016 खारिज करने तक कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

मगर प्रथमतः अन्य 12 प्रतिवादीगण के मृत्यु प्रमाणपत्र पेश ही नहीं हुए। जो मृत्यु प्रमाण पत्र पेश हुए, उनमें से एक प्रतिवादी की मृत्यु दिनांक अस्पष्ट होने से पढने में नहीं आ रही है। इस प्रकार 13

प्रतिवादीगण के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि इनका देहान्त किस दिनांक को हुआ। जो प्रमाणपत्र पेश हुए, वे मात्र फोटोप्रतिया है, विधिवर्ता मूल प्रमाणपत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नियमानुसार उन्हें प्रदर्श करवाया जाना है। फिर पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद यह निश्चित किया जाना है कि सभी प्रतिवादीगण के देहान्त की जानकारी वादीगण को थी अथवा नहीं, जानकारी थी तो कब से थी। जिस प्रकार मृतक प्रतिवादीगण के वारिसान को राजस्व रिकार्ड बाबत कोई जानकारी नहीं थी, क्या वादीगण को भी प्रतिवादीगण के बार में, उनकी मृत्यु हो जाने आदि के बारे में जानकारी नहीं थी, यह भी एक बहस का बिन्दु है। इन सभी बाबत मूल वाद में पुनः कार्यवाही आरम्भ की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद ही विनिश्चित किया जा सकता है। सीपीसी आदेश 47 (8) में स्पष्ट प्रावधान है कि "मंजूर किये गये आवेदन रजिस्टर में चढाया जाना और फिर से सुनवाई के लिए आदेश" - यदि पुनर्विलोकन का आवेदन मंजूर कर लिया जाता है तो उसका टिप्पण रजिस्टर में किया जाएगा और न्याययाललय मामले को तुरन्त फिर सुन सकेगा या फिर से सुनवाई के बारे में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में मात्र मूल वाद में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04 जुलाई 2016 को अपास्त किया है, बकाया उपरोक्त आब्जर्वेश में इंगित कार्यवाही बाबत कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है कि जिससे जाहिर है कि उक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03 अक्तूबर 2017 अपने आप में अपूर्ण है। अतः अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 अक्तूबर 2017 इस प्रकार संशोधित किया जाता है -

03.10.2017 - .... अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व वाद संख्या 5/2014 भंवरसिंह बनाम सरदारसिंह अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 जुलाई 2016 अपास्त किये जाते है। मूल वाद प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर मृतक पक्षकारान के सभी विधिक वारिसान को अभिलेख पर लिया जाकर उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देने हेतु कार्यवाही की जाती है।"

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर